30.05.25 पत्रावली पेश हुई। वकील अर्थी की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थिका का प्रा० पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर घोषित किया गया। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30.05.25

(किरण पाल)
RAS.